

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 144414  
ग्रा0वि0-3/स्था0-6-04/12

दिनांक 04/04/2013

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह भा0व0से0,  
उप निदेशक (सा0वा0) ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

(नालन्दा, औरंगाबाद, जमुई, रोहतास, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चम्पारण, भागलपुर, मधुबनी, सारण, जहानाबाद एवं बांका जिला को छोड़कर), बिहार ।

विषय:- पुराने प्रखंड कार्यालय एवं आवासीय भवन जिनका निर्माण नयी तकनीक से किया जाना है, के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 128 दिनांक 05.01.11 का संदर्भ लें । उक्त विभागीय पत्र द्वारा पुराने प्रखंड भवनों के संबंध में सभी जिलों से ध्वस्त हो चुके, खतरनाक घोषित हो चुके, प्लॉथ जमीन के नीचे तथा मरम्मत पर बीस लाख से उपर व्यय इन चार बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गयी थी । प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ऐसे प्रखंडों की संख्या क्रमशः 16, 06, 22 एवं 160 है । उप विकास आयुक्त की बैठक में हुए विमर्श के क्रम में जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रखंड कार्यालय भवनों की भौतिक स्थिति में भिन्नता परिलक्षित हुई है ।

ध्वस्त हो चुके, खतरनाक घोषित हो चुके, प्लॉथ जमीन के नीचे आने वाले प्रखंड कार्यालय एवं आवासीय भवनों की अद्यतन भौतिक स्थिति की जांच स्थलवार स्वयं करते हुए श्रेणीवार चिन्हित कर अविलंब उपलब्ध कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 110927 दिनांक 22.06.12, स्मार पत्रांक 113049 दिनांक 10.07.12, स्मार पत्रांक 127656 दिनांक 01.11.12 एवं स्मार पत्रांक 135070 दिनांक 10.01.13 द्वारा किया गया था परंतु अभी तक आपके द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे प्रभावित प्रखंडों के पुनर्निर्माण के संबंध में निर्णय लिये जाने में कठिनाई है ।

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,  
(मनोज कुमार सिंह)

उप निदेशक (सा0वा0)

जापांक:- 144414

दिनांक:- 04/04/2013

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त (नालन्दा, औरंगाबाद, जमुई, रोहतास, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चम्पारण, भागलपुर, मधुबनी, सारण, जहानाबाद एवं बांका जिला को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उप निदेशक (सा0वा0)